प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन का अध्याय-1, आडिटी प्रोफाइल्स, लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार, लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन तथा प्रारूप अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर आवृत्त करता है। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की विशिष्टताएं भी इस अध्याय में प्रदर्शित की गई हैं।

3. अध्याय-2, हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड, सिंचाई विभाग, भूमि अधिग्रहण एवं आबंटन तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के कार्यचालन की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है।

4. अध्याय-3, विषयपरक आधारित लेखापरीक्षा आवृत करता है। अध्याय-4, विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों इत्यादि में संपादनों की लेखापरीक्षा आवृत्त करता है तथा अध्याय-5, तकनीकी शिक्षा विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा शामिल करता है।

5. वित्त लेखाओं तथा विनियोग लेखाओं की जांच से उद्भूत मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से समायुक्त प्रतिवेदन पृथकत: प्रस्तुत किया जाता है।

6. प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उनमें से हैं जो वर्ष 2011-12 के दौरान लेखाओं की नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये थे तथा उनमें से भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में तो आये थे परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में संव्यवहारित नहीं किए जा सके थे; 2011-12 से अनुवर्ती अवधि से सम्बन्धित मामले भी, जहां आवश्यक समझे गए, सम्मिलित किए गए हैं।

7. लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए (मार्च 2002) लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।